नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 06, 2018 / चैत्र 16,1940
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

का.आ.1522(अ)– केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 112 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग II, खंड 3, उप–खंड (II) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1997(अ), तारीख 5 अगस्त, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनके करने का लोप किया गया है, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट मोटरयानों के वर्ग के संबंध में अधिकतम गति नियत करती है।

सारणी

भारत में सड़कों पर किलोमीटर में प्रति घंटा अधिकतम गति					
कं0 सं0	**मोटरयान का वर्ग**	**नियंत्रित पहुंच वाले एक्सप्रेसवे**	**4 लेन और अधिक के विभाजित वहन मार्ग (मध्य पट्टियों / विभाजक वाली सड़कें)**	**नगरपालिक सीमाओं के भीतर सड़क**	**अन्य सड़के**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम1 प्रवर्ग यान)	120	100	70	70
2	ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम2 और एम3 प्रवर्ग यान)	100	90	60	60
3	ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है (सभी एन प्रवर्ग यान)	80	80	60	60
4	मोटरसाईकिल	80*	80	60	60
5	चौपहिया साइकिल	–	60	50	50
6	तिपहिया यान	–	50	50	50
*यदि एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए अनुज्ञात है।					

2– यदि गति, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकतम गति के पांच प्रतिशत के अंदर पाई जाती है, तो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 183 के अधीन गति सीमाओं के अतिक्रमण का कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017 / आषाढ 2,1939
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

सा.का.नि.634(अ)– केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सड़क विनियमन, 1989 के नियम को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोप किया गया है, मोटरयान चालन के लिए विनियमन बनाती है–

1– संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मोटरयान चालन विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2– परिभाषायें–

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) ''परिवहन मार्ग'' से अभिप्रेत है वह जो सड़क का वह हिस्सा या हिस्से जिन्हें सामान्य रूप से यानों की यातायात के लिये उपयोग किया जाता है, बेशक उन्हें एक दूसरे से विभाजन पट्टी या स्तर के अंतर या बिना किसी विभाजन के अलग किया जाता है;

(ग) ''संनिर्माण क्षेत्र'' सड़क मार्ग का वह हिस्सा है जहां पर निर्माण प्रगति कार्य किया जा रहा है या किया जाने वाला है और जिसमें कार्य स्थल, यातायात स्थान या अवरोधक स्थल सम्मिलित है;

(घ) ''भारी यान'' का से अभिप्रेत है वह भारी मालयान या भारी सवारी के मोटरयान है जैसा अधिनियम की धारा 2 के खंड (16) और (17) में क्रमशः परिभाषित किया गया है;

(ड) ''चौराहे'' से अभिप्रेत है किसी सम पार, चौराहे या कांटे से, जिसमें ये सम पार, चौराहे या कांटे शामिल है;

(च) ''लंबवत चिन्हांकन'' से अभिप्रेत है सड़क के चिन्ह जिन्हें यातायात की यातायात के लिये सड़क पर प्रदान किया जाता है;

(छ) ''प्रमुख जिला सड़क'' से अभिप्रेत है एक जिले में राज्य सरकार द्वारा इस तरह के रूप में अधिसूचित महत्वपूर्ण सड़के हैं,

(ज) ''प्रमुख सड़क'' से अभिप्रेत है उन राजमार्गो से जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है या अन्य कोई राजमार्ग जिसे कथित अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(झ) ''यान स्थल'' से अभिप्रेत है ऐसे स्थल से जहां पर व्यक्तियों / यानों, माल या सामान को उतारना या उठाना छोड़कर या किसी अन्य प्रयोजन के लिये यानों को एक स्थिर

स्थिति में प्रतीक्षा करने के लिये खड़ा किया जाता है, और इसके लिये यान का तीन मिनट से अधिक समय तक रूकना सम्मिलित है;

(ञ) ''सवारी'' या ''यात्री'' से अभिप्रेत है एक मोटरयान पर यान के चालक को छोडकर यात्रा करने वाले यात्री से है, बेषक वह भाडे या पुरस्कार या अन्यथा किसी तरीके से यात्रा कर रहा है;

(ट) ''रास्ते के अधिकार'' से अभिप्रेत है वह यान या किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता को विधिपूर्वक रीति से प्राथमिकता देकर दूसरे यान से पहले रास्ता देने का अधिकार है या किसी अन्य आने वाले सड़क उपयोगकर्ता को दिशा, गति, और निकटता की परिस्थितियों में यदि एक को दूसरे की अपेक्षा प्राथमिकता नहीं दी जाती तब इससे खतरा या आपस मे टकरा सकते है;

(ठ) ''सडक'' मे पुल, सुरंगे, सडक के किनारे यान खडा करने का स्थान, ढोने की सुविधा, अदला बदली, गोल चक्कर, सुरक्षित/निरापद क्षेत्र, सड़क विभाजक, सभी यातायात गतियां, तीव्र लेन, मंद लेन, अंतःस्थल, ओवरपास, अंडरपास, पहुंच मार्ग, प्रवेश और निकास रैंप, टोल प्लाजा, और निर्माणाधीन सड़कें शामिल है लेकिन इसमें कोई निजी सड़क सम्मिलित नहीं है;

(ड) '' सड़क के निशान'' से अभिप्रेत है वह सड़क के चिन्हों को छोडकर उन पंक्तियों, आकारों, शब्दों से जिन्हें सड़क मार्ग या फुटपाथ या सडक मार्ग में या उनके साथ सटी वस्तुओं में सडक उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित, चेतावनी, मार्गदर्शन और सूचना प्रदान करेन के लिये चित्रित किया जाता है।

(ढ) ''सड़क उपयोगिर्ता'' में यान चलाने वाला व्यक्ति या यान में सवारी करने वाला यात्री या अन्यथा एक पैदल व्यक्ति सम्मिलित है;

(ण) ''शान्त क्षेत्र'' से अभिप्रेत है वह ऐसा क्षेत्र या इलाका है जिसमें एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा ध्वनि संकेतो के उपयोग को निसिद्ध अधिसूचित किया गया है;

(त) '' राज्य राजमार्ग'' से अभिप्रेत है जो राज्य की प्रमुख सड़कें हैं जिन्हें कथित राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जाता है;

(थ) ''ठहराव'' से अभिप्रेत है जो यान को स्वतंत्र इच्छा पर या तो सवारियों को बिठाने या उतारने या तुरन्त माल लादने या उतारने के लिये बहुत कम अंतराल के लिये रोकना है;

(द) ''यातायात'' में हर श्रेणी के यान और अन्य मालवाहक और परिवहन, पैदल चलने वाले, जुलूस, पशुओं द्वारा ढोइे गाड़ी या पशुओं के झुंड, और यात्रा के प्रयोजन के लिए कोई भी सड़क या राजमार्ग का उपयोग करने वाला सभी यपों में सड़क यातयायात शामिल है;

(ध) ''निरापदक्षेत्र'' से अभिप्रेत है वह सड़क मार्ग पर चौराहों के निकट आने जाने वाले यानों को नियंत्रित करने के लिये वास्तविक उपाबन्ध और सड़क मार्ग पर चिन्हित चिन्ह है;

(न) ''पारगमन चिन्ह'' से अभिप्रेत है वह सड़क चिन्ह है जिन्हें सड़क मार्ग पर शुरू से अंत तक प्रदान किया जाता है।

(1) इन विनियमों में प्रयुक्त कोई भी शब्द या अभिव्यक्ति, जिसे यहां पर परिभाषित नहीं किया गया है, उसका वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3– अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं और साधारण जनता के प्रति कर्तव्यः– कोई भी यान सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके से चलाया, रोका या खड़ा नहीं किया जाएगा, जिसके कारण अन्य सड़क उपयोगकर्ता की सुरक्षा को खतरा, या असुविधा होने की संभावना हो सकती है।

4– यानों के द्वारा सड़कों का उपयोग करना–

(1) प्रत्येक यान यानों के संयोजन, सड़क पर चलाते समय, चालक द्वारा संचालित होगा।

(2) एक मोटरयान सड़क मार्ग पर चलाया जाएगाः

(3) जब तक सड़क चिन्ह या निशान अन्यथा संकेत नहीं करते, चालक यान को सड़क मार्ग के बांई ओर जितना संभव हो सकता है चलाएगा, और विपरीत दिशा से आने वाले सारे यातायात को अपनी दाई ओर से निकल जाने का अधिकार देगा।

(4) किसी अन्य यान द्वारा पिछेलने में करते समय और जब किसी ऐसे मोड़ या पहाडी पर पहुंचते समय जहां आगे का दृश्य बाधित है या स्पष्ट नही है चालक को अपना यान बांई ओर रखना होगा।

(5)एक भारी यान या गति प्रतिबंधित यान एक ही दिशा के सड़क मार्ग में बहुल पंक्ति के साथ एक दिशा में बाई लेन में चलाया जाएगा, सिवाय उस स्थिति को छोड़कर जहां पिछलना पर करने में बाधा उत्पन्न होती है या यान धीमी गति में चल रहे हैः

परंतु चालक बाधा या धीमी गति से चलते यानों को पार करने के बाद जितना जल्दी संभव हो अपनी बाई यथास्थिति लेन/पंक्ति में वापस सुरक्षित आ जाता है।

(6) एक यान ऐसी सड़क पर नहीं चलाया जाएगा जिसे, ''एक तरफा'' घोषित किया गया है, सिवाय साइनेज/चिन्हांक में निर्दिष्ट दिशा को छोड़कर

(7) कोई भी चालक यातायात प्रवाह के विपरीत यान को न खीचेगा, न धक्का लगायेगा, न ही चलाएगा, सिवाय उस स्थिति को छोडकर जब समुचित प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से उसे ऐसा करने के लिये या यातायात संकेत स्थापित किया गया है या कर्तव्य पर तैनात वर्दी में उपयुक्त पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है।

(8) चालक को किसी यान को पीछे की ओर घुमाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना होगा और उसकी ओर तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक कथित यान द्वारा पीछे घुमाने/करने की प्रकिया पूरी नहीं कर ली गई है।

5– चालको और सवारियों के कर्तव्य–

(1) प्रत्येक चालक हर समय पूरी देखभाल और सावधानी के साथ यान चलाएगा।

(2) चालक यान चलाते समय यह सुनिश्चित करेगा कि वह उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं उसके पूर्ण नियंत्रण में है और शारीरिक और मानसिक रूप से यान चलाने के लिये पूरी तरह सक्षम है।

(3) चालक हर समय सड़क और यातायात पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखेगा और पूरा ध्यान केंद्रित करेगा ताकि किसी भी समय ध्यान भंग/भटकने की स्थिति उत्पन्न होने या उसकी संभावना से उसका ध्यान भटकने से बच सकें।

(4) चालक और यात्री पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों, बच्चों, बुजुर्गो और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के रूप में सबसे कमजोर सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष देखभाल और सावधानी के साथ यान चलाएंगे।

(5) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि यान चलाते या उसे स्थिर स्थिति में खड़ा करते समय, अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं या किसी सम्पत्ति के स्वामी को ऐसा करने के कारण किसी प्रकार की बाधा या अनुचित असुविधा न हो।

(6) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी दृष्टता बाधित न हो और उसकी सुनने की ष्षक्ति यान के यात्रियों, पषुओं, भार, यान मे रखे उपकरण या यान की स्थिति के कारण प्रभावित न हो।

(7) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि वह और यान के अन्य सवार सीट बेल्ट बांध लें, यदि यान में वह प्रदान किये गये है।

(8) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उपयुक्त बच्चों की सुरक्षित प्रणाली में बिठाया गया है, जहां भी वह प्रदान किये जाते है।

(9) जहां कहीं भी किसी मोटरसाइकिल साइडकार के साथ या उसके बिना प्रदान की जाती है या विधि के अंतर्गत, पिछली सीट पर बैठा सवार और साइडकार पर बैठे सवार को सुरक्षात्मक सिर के उपकरण (हेलमेट) या कानून के अंतर्गत उस समय निर्दिष्ट किसी अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहनना होगा।

(10) चालक यह सुनिश्चित करेगा कि यान में तेज संगीत नहीं चलाया जाएगा।

(11) यान चलाते समय चालक डिजिटल गतिशील पिक्चरें या वीडियों, नहीं देखेगा, सिवाय जहां मार्ग प्रदर्शन के लिए ऐसा करना आवश्यक है परंतु चालक उस उपकरण का मार्ग प्रदर्शन के लिये इस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि उसका ध्यान यान चलाते समय भटक न जाए।

(12) चालक को तत्समय प्रचलित शराब और नशीली दवाओं और धूम्रपान निषेद्ध से संबंधित सभी विधियों का सख्ती से पालन करना होगा, और वह सुनिश्चित करेगा कि अन्य दल, सवार और यात्री, यदि कोई है, वह भी इनका अनुपालन करेंगे।

(13) यान पर बैठते और उसमें से बाहर निकलते समय चालक अपनी और अपनी सवारियों की देखभाल करेगा, ताकि वह अपने साथ अन्य कर्मचारीवृंद, यात्रियों तथा अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

(14) चालक किसी भी सार्वजनिक स्थान में ऐसा यान नहीं चलागा, जो उसके ज्ञान में, साधारण देखभाल करते समय दोषपूर्ण पाया जाता है, और कथित दोष के कारण यान चलाने से यान के स्वामी के या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को अनुचित खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है।

(15) यदि यान चलाते समय उसमें कोई तकनीकी त्रुटि आ जाता है, तब जितनी जल्दी संभव होगा चालक यान को तुरन्त सड़क से सुरक्षित रूप में दूर ले जाएगाः

परंतु कि बैटरी चलित दुपहिया यान चलाते समय कोई तकनीकी त्रुटि पाए जाने की स्थिति में सुरक्षा के साथ बाहर निकाला जा सकता है।

(16) मोटरसाइकिल या तिपहिया पर सवारी करते या चलाते समय, चालक या सवारी किसी अन्य यान को न पकडेगा या न ही धक्का देगा।

(17) मोटरसाइकिल या तिपहिया यान का चालक हर समय अपने दोनो हाथ से हैंडल पकडकर रखेगा सिवाय उस समय छोडकर ज बवह विनियम 9 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार संकेत प्रदर्शित करने का कौशल करता है।

(18) चालक अपने पैर पैडल या फुटरेस्ट से केवल उस समय हटायेगा जब सड़क की स्थितियां या सुरक्षा ऐसा करने के लिए के लिये आवश्यक है।

6– लेन यातायात–

(1) जहां किसी सड़क को यातायात की यातायात के लिये लेन में चिह्नित किया जाता है, चालक लेन के भीतर यान चलाएगा, और केवल उपयुक्त संकेत या सड़क के चिन्ह या सड़क के निषान या संकेतक देकर लेन बदलेगा।

(2) जहां किसी लेन को विशेष रूप से यानों की श्रेणी के लिये चिन्हित किया जाता है, वहां केवल यानों की कथित श्रेणी ही उस लेन पर चलाई जाएंगी।

(3) जहां एक लेन को निर्दिष्ट श्रेणी या किसी विशेष प्रयोजन के यानों के लिये चिन्हित किया जाता है उस लेन पर किसी अन्य यान या अन्य श्रेणी के यानों को नहीं चलाया जाएगा।

(4) जहां किसी सड़क को एक लंबवत पीली रेखा या ठोस सफेद रंग की पंक्ति से विभाजित किया जाता है, चालक उसी दिषा में आगे बढ़ने और अपने से आगे वाले यान को पिछेलना/पार करने का प्रयास करते समय, कथित पीली या सफेद ठोस पंक्ति को पार नहीं करेगा।

(5) चौराहों पर पहुंचने के समय, जहां मुडने वाली पंक्तियां एकल ठोस पंक्ति के साथ चिन्हित है, चालक सुनिश्चित करेगा कि यान उसी दिशा में रहेंगे जिसके लिये निर्दिष्ट किया गया है।

(6) चालक एकल या दोराहे लंबवत ठोस पंक्ति पर या उसके ऊपर या चित्रांकित सुरक्षित यातायात क्षेत्र पर यान नही चलाएगा, सिवाय उस मामले को छोडकर जब आगे सड़क अवरूद्ध है।

(7) एक ऐसी सड़क पर जिसके साथ–साथ एक खंडित रेखा चिन्हित है, चालक यान चलाते समय उस खंडित रेखा को केवल पिछेलना करते समय ही पार करेगा, और पिछेलना करने के उपरान्त विनियम 12 में निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों का अनुपालन करते हुए वापस अपनी लेन पर वापस आ जाएगा।

7– रास्ते का अधिकार–

(1) जहां सड़क पर ''रूकने'' के संकेत प्रदर्शित किये जाते है, संकेत के सामने चालक–

(क) ''रूकने'' के संकेत से पूर्व आड़ी ''रूकने'' की रेखा पार करने से पहले रूक जाएंगे;

(ख) यदि किसी मामले में ''रूकने'' की रेखा चिन्हित नहीं की गई है, या चिन्हित की है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, तब ''रूकने'' के संकेत से पहले रूक जाएंगे;

(ग) प्रमुख सड़क पर यातायात को रास्ता देंगे; और

(घ) प्रमुख सड़क पर केवल तब प्रवेश करेंगे जब आगे का रास्ता साफ है।

(2) जहां सड़क पर एकल या दोहरी खंडित आड़ी रेखाओं के साथ मिलाकर ''रास्ता देने'' का संकेत प्रदर्शित किया गया है, चालक यान धीमा कर देगा, जिस सड़क पर आगे जा रहा है वहां पहले यातायात को रास्ता देगा और फिर सावधानीपूर्वक आगे बढेगा।

(3) यदि वहां ''रास्ता देने'' के संकेत या ''रूकने'' के संकेत से पहले कोई पैदल पार पथ चिन्हित नहीं किया गया है, चालक पहले पैदल पार करने वाले लोगों को रास्ता देगा।

(4) सड़क किनारे किसी संपत्ति की चारदीवारी से निकलने वाले यान को पहले दूसरे मोटर यानों और सड़क पर पहले से चल रहे यातायात को रास्ता देना होगा।

8– बांए, दांए और 'यू'–टर्न– एक मोड़ आने से पहले चालक अच्छी तरह अग्रिम योजना बनाएगा, सड़क पर उचित लेन मे आ जाएगा और निम्नलिखित तरीके से अपना इच्छित मुडने का संकेत देगा, अर्थातः–

(क) एक चालक जो बांई ओर मुड़ना चाहता है सही समय पर बांई ओर अपने मुड़ने के इरादे का या तो दिशा संकेतक या उपयुक्त हाथ का उपयोग करते हुए संकेत देगा;

(ख) बांए मुड़ने से पहले, चालक उचित समय पर, जितनी दूर तक बाई ओर की लेन पर या गली का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेगा, यदि प्रदान की गई है;

(ग) एक बहु–लेन सड़क पर यान चलाते समय, जहां सड़क पर बाई ओर दिशा संकेतक तीर चिह्नित किये गये है, चालक को बांई ओर मुडते समय उस लेन का प्रयोग करना होगा;

(घ) बाई लेन में जाने से पहले, चालक अपने बांई और उसके पीछे से आने वाले यातायात को ध्यान में रखते हुए, केवल बांई ओर को संकेत देकर लेन बदलेगर;

(ड) बांए मुड़ने से पहले, चालक को साईकिल चालकों और अन्य धीमी गति से चलने वाले यातायात को रास्ता देना होगा;

(च) अनियंत्रित पैदल यात्री पार पथों पर, चालक को बाई ओर मुड़ने से पहले पैदल चलने वालों को रास्ता देना होगा;

(छ) एक यान, जो अपनी बड़ी त्रिज्या के कारण मुड़ने में असमर्थ है ऐसे यान को बाई लेन के अंतिम छोरपर पहुंचकर मुडना आवश्यक है, उस यान का चालक पिछले देखने वाले शीर्ष से बांई ओर के यातायात पर नजर रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक यान को मोडना होगा;

(2) दांई ओर मोड़ना–

(क) जो चालक दांई ओर मुड़ने की इच्छा करता है स्पष्ट रूप से और सही समय पर दांई ओर मुड़ने के इरादे का दिशा संकेत या हाथ के संकेत का उपयोग करते हुए संकेत देगा;

(ख) दांई ओर मुडने से पहले, चालक सही समय पर दांई ओर की लेन में प्रवेश करेगा;

(ग) एक बहुल–लेन सड़क पर यान चलाते समय जहां सड़क पर दांई ओर इशारा करते हुए दिशा तीर चिन्हित किये गये है, चालक उस लेन में रहते हुए दाई ओर मुड़ेगा;

(घ) अनियंत्रित पैदल यात्री पार पथों पर, चालक को पहले पैदल चलने वालों के लिए रास्ता देना होगा।

(3) 'यू' टर्न लेना–

(क) एक यान 'यू' टर्न नहीं लेगा;

(i) जहां कथित 'यू' टर्न एक सड़क चिन्ह या यातायात चिन्हांक द्वारा निषिद्ध है;

(ii) निरंतर प्रवाह के यातायात के साथ एक व्यवस्त सड़क पर;

(iii) प्रमुख सड़क, राजमार्ग या चौडे रास्ते/एक्सप्रेसवे पर; तथा

(iv) निरंतर एकल या दोहरी ठोस रेखा के आरपार;

(ख) यदि वहां यान के आसपास कोई अस्पष्ट स्थान है ऐसी स्थिति में चालक 'यू' टर्न नहीं लेगा और बारीकी से विपरीत दिशा से आने वाले यातायात का अवलोकन करने के बाद और बगल के यातायात और पिछले देखने वाले शीशे पर पीछे से आने वाले यातायात पर दृष्टि रखते हुए ही पलराव लेगा।

(ग) चालक को दांई ओर मुड़ने के लिये पहले पैदल और साइकिल चालकों सहित अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को रास्ता देना होगा जिनके पास रास्ते का अधिकार है;

(घ) चालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे आनेवाले यातायात का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा है और वह अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिये किसी प्रकार की अनुचित असुविधा का कारण नहीं बनेगा और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा;

(ड) एक बडा यान बाई लेन से पलराव ले सकता है केवल जब उसे इसकी अनुमति प्राप्त हो जाती है।

9– चौराहों पर बरती जाने वाली सावधानियां–

(1) सड़क के चौराहे, सड़क जंक्शन, पैदल पारपथ या सड़क के किनारे पर पहुंचने पर यान को निरपवाद रूप से गति धीमी करनी होगी, और इस तरह के किसी चौराहे, सड़क जंक्शन, पारपथ पर प्रवेश नहीं करेंगे जिससे यातायात करते हुए अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को खतरे की संभावना हो सकती है, या जो सड़क उपयोगकर्ता कथित चौराहों, सड़क जंक्शनों, पैदल पारपथों या सड़क किनारे पहले से ही उपस्थित है।

(2) चौराहों और जंक्शनों पर, दाई ओर से आ रहे यान को पहले रास्ते का अधिकार होगा; परंतु यह उपविनियम लागू नहीं होगा,–

(क) जब जंक्शन या चौराहे किसी प्राधिकृत व्यक्ति, यातायात लाइटों या अनिवार्य यातायात संकेतों द्वारा हाथ/मैनुअल संकेतों द्वारा विनियमित किये जा रहे हैं;

(ख) जब यान एक छोटी सड़क पर है और प्रमुख सड़क पर प्रवेश करने वाला है।

(3) एक मोटरयान चौराहे पर प्रवेश नहीं करेगा यदि चौराहे पर यातायात रूक गया है यहां तक कि प्रमुख सड़क पर या आगे जाने के लिये संकेत मिल गया है।

10– गोल चक्करों पर अपनाई जाने वाली सावधानियां–

(1) गोल चक्कर पर प्रवेश करते समय, गोलचक्कर पर पहले से उपस्थित यातायात को पहले रास्ते का अधिकार होगा।

(2) गोल चक्कर के पास पहुंचने वाले मोटरयान को उसके आगे बढ़ने के लिये प्रासंगिक लेन की दिशा का चयन करना होगा।

(3) गोल चक्कर के भीतर लेन बदलते समय चालक संकेत का उपयोग करेगा।

(4) गोल चक्कर से बाहर निकलते समय बांई ओर मुडने के लिये, चालकविनियमन (6) के उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा।

11– सिग्नलों के संकेत–

(1) चालक स्पष्ट रूप से बांए या दांए मुडने और किसी कौशल करने से पहले अपनी लेन बदलने के इरादे का यान मे लगे यात्रिक या बिजली उपकरणों को उपयोग कर या हाथ से संकेत करेगा।

(2) किसी मामले में यदि यान में यांत्रिक या विद्युत संचालित उपकरण नहीं लगाए गये या, कथित उपकरण लगाए गये हैं लेकिन वे काम नहीं कर रहे है, चालक निम्न निर्दिष्ट किये अनुसार हाथ से संकेत देगा–

(i) यान रोकने के लिए, चालक को दांई ओर अपना दांया हाथ यान के बाहर निकालकर लंबवत उठाना होगा;

(ii) दांई ओर मुडने या अन्य यान को पार कर सड़क के दांई ओर यान चलाने के लिये या किसी अन्य कारण, चालक को अपना दांया हाथ चालक यान के बाहर निकालकर अपने यान के दांई ओर क्षैतिज स्थिति में आगे हथेली की स्थिति में उठाना होगा;

(iii) बाई ओर मोडने या सड़क के बाएं हाथ की ओर यान चलाने के लिए, चालक को अपने दाहिना हाथ बाहर निकालकर वामावर्त दिशा में घुमाना होगा;

(iv) चालक अपने पीछे आने वाले यान को पिछेलना करने का संकेत दे सकता है, ऐसा करने के लिये चालक अपना दाहिना हाथ यान के दांई ओर क्षैतिज अवस्था में बाहर निकालेगा, और अर्ध–गोलाकार लय में आगे और पीछे घुमाएगा।

12– यातायात नियंत्रण सिग्नल– यातायात नियंत्रण सिग्नल पर पहुचते समय, यान को अपनी गति धीमी करनी होगी और निम्न रीति से दिये गये नियंत्रण सिग्नलों का अनुपालन करना होगा अर्थातः–

(क) एक चौराहे पर या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यातायात नियंत्रण सिग्नल की लाल बत्ती के सामने, पैदल पार पथ से पहले रूकने की रेखा से पहले यान को रोकना होगा;

(ख) यदि रूकने की रेखा चिह्नित नहीं की गई है या, यदि चिह्नित की गई है मगर दिखाई नही दे रही है, यान पैदल पार पथ से पहले रोकना होगा;

(ग) यदि वहां पर कोई पैदल पार पथ चिन्हित नहीं है, यान प्राथमिक यातायात सिग्नल से पहले रोकना होगा;

(घ) यातायात सिग्नल की हरी बत्तीबदलने पर यान को सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा;

(ड) जब, एक चौराहे पर या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर, यातायात नियंत्रण सिग्नल द्वारा निरंतर लाल बत्ती जल्दी रूक–रूक कर चमकती है, सिग्नल प्रतीक्षा करने वाला यान–

(i) पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले रोकना होगा;

(ii) यदि रूकने की रेखा चिह्नित नहीं की गई है या, यदि चिह्नित की गई है पर दृश्य नही दे रही है, यान पैदल पार पथ से पहले रोकना होगा;

(iii) यदि वहां चौराहे पर पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा चिन्हित नहीं है तब आप प्राथमिक यातायात सिग्नल से पहले यान आगे ले जाएं;

(iv) पहले पैदल चलने वालों और प्रमुख सड़क पर चलने वाले यानों को रास्ते का अधिकार देने के बाद सिग्नल को पार कर यान आगे ले जाएं;

(च) खंड (क) से (घ) में निहित होते हुए भी, एक मोटरयान बांई ओर मुड सकता है ओर चौराहे पर उसके दांई ओर से आने वाले यातायात और बांई ओर से चौराहा पार करने वाले पैदल और साइकिल चालकों को रास्ते का अधिकार देने के बाद आगे बढ़ सकता है जब तक यातायात नियंत्रित उपकरण या सड़क का कोई संकेत लाल लाल बत्ती जलने तक बांई ओर मुडना निषिद्ध नहीं करता;

(2) हरी यातायात बत्ती,–

(क) जब एक चौराहे या चौराहे के अतिरिक्त अन्य यातायात नियंत्रित सिग्नल पर हरी बत्ती जल रही या चालू है, हरी बत्ती के सामने मोटरयान,–

(i) यदि आगे का रास्ता साफ है तब यान को चौराहे में या पैदल पार पथ पर आगे ले जाएगा;

(ii) यदि किसी मामले में यातायात नियंत्रित सिग्नल द्वारा हरा दिषा तीर भी प्रदर्षित किया गया है तब केवल हरे दिषा तीर संकेत दिखाई देने पर यान को उस दिषा में आगे बढाएं;

(iii) चौराहे के भीतर या पैदल पार पथ के बगल में उपस्थित किसी भी पैदल यात्री, और किसी अन्य यान को रास्ता दें जो हरी बत्ती बदलने के समय चौराहे के भीतर उपस्थित है;

(ख) जब, एक चौराहे पर, यातायात नियंत्रित सिग्नल द्वारा लगातार तेजी से रूक रूक कर हरे चमकते तीर के सिग्नल का सामना करने वाला मोटरयान पहले पैदल चलने वालों,

साइकिल चालकों और जिस मार्ग पर चालक यान ले जा रहा है उसमें मिलने वाले मार्ग पर रास्ता देने के बाद प्रदर्षित किये गये तीर की दिशा में यान आगे बढाएगा।

(3) नारंगी यातायात बत्ती–

(क) जब, एक चौराहे पर या एक चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर, किसी यातायात नियंत्रि सिग्नल पर नांरगी रोशनी होती है, नांरगी रोशनी के सामने आने वाला यान पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले यान को रोक देगा;

(ख) यदि रूकने की रेखा चिह्नित नहीं है या, यदि चिह्नित रेखा दिखाई नहीं देती, यान को पैदल पार पथ से पहले रोकना होगा;

परंतु यदि कोई चिन्हित पैदल पार पथ न होने पर, यान प्राथमिक यातायात बत्ती के सिग्नल से पहले रूकेगा जब तक वह रूकने की रेखा को पार नहीं कर जाता या रूकने की रेखा के बहुत निकट पहुंच गया है कि अचानक यान रोकने के कारण पीछे से आने वाले यानों के साथ टकराने का खतरा हो सकता है;

(ग) चौराहे पर यातायात नियंत्रित सिग्नल पर तेजी से रूक रूक कर चमकने वाली नांरगी रोषनी के सामने या चौराहे के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर यान को धीमा कर देगा और चौराहे पर या पैदल पार पथ पर बड़ी सावधानी के साथ पैदल यात्रियों और अन्य यानों को जो उससे पहले चौराहे पर है रास्ता देकर आगे यान ले जा सकता है।

13– मैनुअल यातायात नियंत्रण–

(1) जहां चौराहे पर या उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या कोई अन्य अधिकृत व्यघ्क्ति यातायात नियंत्रित करता है, चालक को अपना यान धीमा करना होगा और कथित अधिकारी या व्यक्ति के निर्देशों का पालन करना होगा।

(2) जहां वर्दी में एक पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ''रूकने'' का सिग्नल दिया जाता है, चालक अपना यान पैदल पार पथ से पूर्व रूकने की रेखा से पहले रोक देगा।

(3) किसी मामले मे ''रूकने'' की रेखा चिह्नित नहीं है या, यदि चिह्नित है पर दिखाई नहीं दे रही, चालक अपना यान पैदल पार पथ से पूर्व रोक देगा।

(4) किसी मामले मे पैदल पार पथ चिन्हित नहीं है, चालक अपना यान गंतव्य सड़क के पास चौराहे पर रोक देगा।

(5) जब एक यान वर्दी में पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए गए संकेत के अनुपालन में ''रोक'' दिया गया है, वह तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कथित अधिकारी या व्यक्ति द्वारा आगे बढ़ने का संकेत नहीं दिया जाता।

14– पिछेलना–

(1) एक मोटरयान किसी अन्य सडक उपयोगकर्ता को पिछेलना करआगे नहीं जाएगा जब तक ऐसा करना सुरक्षित और उस समय लागू अधिनियम या नियमों के उपावंधो का उल्लंघन नहीं है।

(2) किसी भी यान को केवल दाई ओर से पिछेलना/पार किया जाएगा;

बशर्ते कि यान को बांई ओर से पिछेलना किया जा सकता है, यदि–

(क) जिस यान को आगे निकलना/पिछेलना करनाया जिस यान से आगे निकलना/पिछेलना करना है वह दोनों एक बहुल–लेन वाली सड़क पर चल रहे हैं और अगले यान को सुरक्षित रूप से बांई ओर से चिन्हित पंक्ति में पिछेलना किया जा सकता है;

(ख) पिछेलना किये जाने वाला यान या तो दांए मुड रहा है या सड़क के मध्य से पलराव ले रहा है और मुडने का सिग्नल दे रहा है और उसे बांई ओर से पिछेलना करना सुरक्षित होगा; या

(ग) पिछेलना किये जाने वाला यान स्थिर अवस्था में खडा है और उसके बांई ओर से आगे जाना सुरक्षित होगा।

(3) किसी भी यान को ऐसी स्थिति में पिछेलना नहीं किया जाएगा यदि पिछेलना करने से उस ओर आने वाले यातायात के बाधित होने की संभावना हो।

(4) पिछेलना करते समय, यान की गति पिछेलना किये जाने वाले यान से अधिक होगी, लेकिन गति अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट अधिकतम गति सीमा से अधिक नहीं होगी।

(5) कोई यान पिछेलन नहीं करेगा–

(क) यदि यातायात की स्थिति स्पष्ट नहीं है;

(ख) निरंतर एकल या दोहरीचिन्हित ठोस लंबवत लेन/पंक्ति जो सड़क को विभाजित करती है उसे पार कर;

(ग) निरंतर एकल या दोहरीचिन्हित ठोस लंबवत लेन/पंक्ति जो सडक को विभाजित करती है उसे पार कर;

(घ) किसी मोड़ या कोने पर आगे सड़क पर किसी भी तरह की बाधा के परिणामस्वरूप जहां स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता;

(ड) जंक्शनों, चौराहों और पैदल यात्री पथों पर;

(च) पारगमन स्थान पर जहां सड़क संकरी हो जाती है या जहां प्रमुख मार्ग के साथ गली/लेन चौडाई में कम हो जाती है;

(छ) किसी संकरी पुलिया पर; या

(ज) एक सड़क जहां पर सड़क संकेत द्वारा ''स्कूल क्षेत्र'' या ''अस्पताल क्षेत्र'' या ''निर्माण क्षेत्र'' के संकेत दिये गये है।

(6) चालक पिछेलन करेन के अपने आषय को दिखाने के लिए दिशा संकेतक का उपयोग करेगा और जितना जल्दी संभव हो सकेगा पिछलेना करने के बाद सडक पर अपनी बांई ओर वापस आ जाएगा।

(7) पीछे वाले यान को पिछेलन/आगे जाने की अनुज्ञा के लिये कोई भी चालक दांई ओर का सिग्नल देगा।

(8) बाहरी निर्माण क्षेत्रों में, आगे जाने वाले यान को पिछेलन करने के आशय का चालक बहुत अल्प अवधि के लिए हार्न/भौंपू बजाकर या हेडलाइट को जला बुझाकर संकेत देगा और अगले यान के चालक द्वारा पिछेलना करने के संकेत मिलने के बाद ही यान आगे/पिछेलन कर सकता है या तक जब आगे का रास्ता साफ नहीं हो जाता।

(9) यदि एक यान किसी अन्य यान को पिछेलन करता है, पिछेलन किये जाने वाले यान का चालक अपने यान की गति नहीं बढाएगा या पिछेलन करने वाले यान को बाधा उत्पन्न कर उसे वापस बांई लेन पर जाने के लिये बाध्य नहीं करेगा।

15– यातायात में विलय–

(1) एक राष्ट्रीय राजमार्ग या यथास्थिति एक राज्य के राजमार्ग या एक प्रमुख जिला सड़क में प्रवेश करने वाले मोटरयान को पहले राजमार्ग या प्रमुख जिला सड़क पर चलने वाले यातायात को रास्ता देगा।

(2) एक ही श्रेणी की दो सड़कों के चौराहे पर, दाई ओर यान के चालक को रास्ते का अधिकार होगा।

(3) जहां कहीं भी लागू हो, चालक राजमार्ग पर या प्रमुख जिला सड़क पर यातायात में मिलने वाली लेन में विलय करने से पहले यान की गति को तेज करेगा।

(4) यातायात में विलय करने से पहले और करते समय, चालक यान के पीछे देखने वाले और बगल में देखने वाले षीषों से यातायात पर पैनी नजर रखेगा और उसके बाद ही विलय/मिलने के आषय का संकेत करेगा।

(5) चालक किसी यान या उसके आगे जाने वाले यान को पिछेलन करने का प्रयास नहीं करेगा जब तक वह बाई ओर की लेन पर या जिस लेन पर वह उस समय यान चला रहा बहुत ज्यादा समय से रूका नहीं हुआ है।

16– गति–

(1) चालन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उसके यान की स्थिति और उसका भार, सड़क, अन्य यातायात, दृष्यता और मौसम शामिल है, एक चालक केवल उस समय यान की गति बढायेगा जब यान पर हर समय उसका नियंत्रण है।

(2) कोहरे, बारिश, बर्फबारी, तूफान या रेगिस्तान की हवाओं के दौरान यान को धीमी गति में चलाया जाएगा ताकि आगे दृष्यता की दूरी के दायरे में यान को रोका जा सके।

(3) एक मोटर यान को नहीं चलाया जाएगा यदि–

(क) उसकी गति चेतावनी संकेतकों पर निर्दिष्ट सीमा से अधिक या कम है; और

(ख) सक्षम प्राधिकारी या यानों की उस वर्ग के लिये अधिकारियों द्वारा और उन सड़कों की वर्ग के लिये अधिसूचित अधिकतम गति सीमा से अधिक गति पर यान चलाया जाएगा।

(4) कोई भी चालक, बिना उचित और पर्याप्त कारण के बगैर, कम गति में यान नहीं चलाएगा जिसके कारण सामान्य यातायात प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है।

(5) किसी निर्माण स्थल या स्कूल या अस्पताल से गुजरते समय कोई भी चालक 25 किमी प्रति घंटा से अधिक या कथित कम गति में, जिसे सड़क पर संकेतक में निर्दिष्ट किया जा सकता है, या बिना फुटपाथ की सड़क पर और सड़क के किनारे पैदल यात्रियों के चलने के मार्ग पर यान नहीं चलायेगा।

17– सुरक्षित दूरी बनाए रखना–

(1) अन्य यान के पीछे यान का चालक यातायात की अनुपातिक स्थिति के साथ अपने आगे चलने वाले यान के पीछे पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखेगा ताकि यदि आगे चलने वाला यान अचानक धीमा हो जाता है या रूक जाता है त बवह सुरक्षित रूप से रूकने में सक्षम हो सके।

(2) जब आपके पीछे दूसरा यान चल रहा है, चालक बिना किसी अकाटय कारण के अचानक अपने यान को ब्रेक नहीं लगाएगा।

(3) वर्षा, बर्फबारी या सड़क पर किसी गंभीर तूफानी मौसम या अन्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान, चालक आगे चलने वाले यान से थोडी दूरी बनाए रखेगा।

18– पीछे यान चलाने पर प्रतिबंध (विपरीत दिशा मे)–

(1) कोई भी चालक सड़क या यान स्थान में या किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थल पर पीछे की ओर (विपरीत दिशा मे) यान नहीं चलाएगाः

परंतु चालक को यान पीछे करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि यान को पीछे करते समय किसी भी तरीके से किसी अन्य सडक उपयोगकर्ता की सुरक्षा को खतरा या अनुचित असुविधा तो नहीं होगी, और इस प्रकार यान को पीछे करने की गतिविधि की दूरी और अवधि उतनी हो सकती है जो यान को घुमाने के लिये यथोचित आवश्यक होगी।

(2) सार्वजनिक सड़क पर कोई भी मोटरयान विपरित दिशा में नहीं चलाया जाएगा।

(3) ''एक तरफा रास्ते'' के रूप में नामित सडक में कोई भी मोटरयान पीछे की ओर नहीं चलाया जाएगा।

19– सम पार–

(1) रेल जनित यानों को सभी मानवरहित रेल सम पार/क्रॉसिंग पर पहले रास्ते की प्राथमिकता होगी।

(2) जब एक चालक रेल सम पार/क्रासिंग पर पहुचंता है उसे यान धीमा करना होगा और वह–

(क) रेल सम पार/क्रॉसिंग के भीतर यान खडा कर रास्ता अवरूद्ध नहीं करेगा;

(ख) एकरेल सम पार/क्रॉसिंग में परिछालन नहीं करेगा; और

(ग) सड़क मार्ग के बाई ओर यान रखेंगे।

(3) एकसंरक्षित रेल सम पार/क्रॉसिंग पर, फाटक का बैरियर नीचे गिराने/बंद करने या बैरियर गिराना शुरू करने के बाद या यानों का यातायात लाल बत्ती सिग्नल के सामने खडा है कोई भी मोटरयान सम पार में प्रवेश नहीं करेगा।

(4) एक अरक्षित रेल सम पार/क्रॉसिंगपर–

(क) मोटरयान केवल यह सुनिश्चित करने के बाद रेल सम पार/क्रॉसिंग पर प्रवेश करेगा जब उसे रेल के डिब्बे और इंजन दिखाई देना बंद हो जाता है, और

(ख) एक स्कूल बस सहित बस का चालक, एक मालवाहक यान, खेत के श्रमिकों और माल ले जाने वाली ट्रैक्टर की ट्रॉली या खतरनाक, ज्वलनशील या खतरनाक सामग्री को ले जाने वाले यान, रेल सम पार/क्रॉसिंग पर पहुंचने पर रूक जांएगे और यान के चालक अपने परिचर या किसी अन्य व्यक्ति को रेल सम पार के पास जाकर यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों ओर से कोई इंजन या रेल के डिब्बे तो नहीं आ रहे, और परिचर या कथित अन्य व्यक्ति रेल सम पार से उस पार के बारे में चालक का मार्गदर्शन करेगाः

परंतु जहां यान पर ऐसा कोई परिचर या अन्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, चालक सड़क के किनारे सुरक्षित रूप से यान की बत्ती चालू कर यान को खडा करेगा और रेल सम पार/क्रॉसिंग को पार करने से पहले सम पार पर जाकर सुनिश्चित करेगा कि दोनों ओर से कोई इंजन या रेल के डिब्बे तो नहीं आ रहे है।

20– एक सुरंग में प्रवेश करना–

(1) किसी सुरंग में प्रवेश करने से पहले चालक यान की नीचे की रोशनी चालू करेगा।

(2) सुरंग के भीतर चालक परिछालन, पलराव या विरीत दिशा में यान नहीं चलाएगा।

(3) कोई भी चालक सुरंग के भीतर यान को खडा नहीं करेगा जब तक पूरी तरह से वह करना आवश्यक नहीं हो जाता और, ऐसी स्थिति में, वह यान की खतरे की चेतावनी बत्ती चालू कर देगा और केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 138 के उप नियम (4) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किये अनुसार यान के आगे और पीछे बीस मीटर दूरी पर परावर्ती यातायात चेतावनी त्रिकोण भी रखेगा।

21– पहाड पर चढाई करने वाले यानों को प्राथमिकता दी जाएगी–

(1) पहाडी और खडी सड़को पर, जहां सड़क पर्याप्त रूप से चौडी न होने के कारण मोटरयानों को एक साथ एक दूसरे को बिना व्यवधान पहुंचाए पार करने में सक्षम नहीं करती, नीचे उतरने वाले यान का चालक–

(क) सड़क के बाई ओर यान खडा करेगा; और

(ख) पहले ऊपर की ओर आगे बढ़ने/चढ़ने वाले यान को पार करने की अनुमति देगा।

22– यान को रोकना और खड़ा/यान स्थल करना–

(1) कोई भी यान इस स्थिति में रोका नहीं जाएगा

(क) एक ऐसे स्थान पर जहां सड़क संकरी और आगे देखने का दृश्य अवरूद्ध है;

(ख) एक तीव्र मोड़ पर;

(ग) तेज या मंद लेन में;

(घ) पैदल पार पथ पर, या उससे पांच मीटर पहले;

(ड) रेल सम पार पर;

(च) यातायात बत्ती सिग्नल से पांच मीटर या उससे कम दूरी पर या ''रास्ता देने'' के संकेत या ''रूकने'' के संकेत या यदि कोई स्थिर यान के कारण अन्य सड़क अपयोगकर्ताओं की दृष्टयता में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है;

(छ) किसी नामित बस स्टैंड पर यदि स्कूल बस के अतिरिक्त कोई अन्य बस है;

(ज) सड़क पर पीले रंग के चिह्नित बॉक्स पर;

(प) जहां ''नहीं रूकने'' का अनिवार्य संकेत द्वारा यान खड़ा करना निषिद्ध किया गया है।

(2) कोई यान खड़ा/पार्क नहीं किया जाएगा–

(क) जहां पर उप–विनियम (1) के अंतर्गत ऐसेस्थान पर यान रोकनानिषिद्ध है;

(ख) एक प्रमुख सड़क या सड़क के एक हिस्से में जहां पर अधिसूचित अधिकतम गति सीमा पचास किमी प्रति घंटे या उससे अधिक है;

(ग) एक पगडंडी, साइकिल ट्रैक और पैदल पार पथ पर;

(घ) एक चौराहे या जंक्शन से पहले या बाद में या चौराहे या जंक्शन के किनारे से जंक्शन के पचास मीटर की दूरी तक;

(ड) जहां वह नामित यान स्थल के प्रवेश में अवरोध उत्पन्न करेगा;

(च) एक बस स्टॉप के निकट, एक शैक्षिक संस्थान या अस्पताल के प्रवेश द्वार पर या यदि जहां किसी यातायात संकेतक या अग्निरोधक को अवरूद्ध करने की संभावना हो सकती है;

(छ) एक सुरंग में;

(ज) एक बस लेन में;

(झ) किसी संपत्ति के प्रवेश और निकास द्वार के सामने;

(ञ) जहां सड़क मार्ग की पगडंडी के बगल में एक निरंतर पीले रंग की रेखा लगाई या चित्रित की गई है;

(ट) पगडंडी के किनारे से दूरी पर;

(ठ) अन्य पार्क/खडे किये यान के सामने;

(ड) यदि किसी अन्य यान को अवरूद्ध करने की संभावना या किसी अन्य व्यक्ति के लिये असुविधा का कारण है;

(ढ) पहले खडे यान के बगल में;

(ण) निर्दिष्ट अवधि से भी अधिक अवधि के लिये ऐसे स्थान पर जहां यान स्थल की केवल निर्धारित अवधि के लिये अनुज्ञा है;

(त) ऐसे स्थान पर जहां यान स्थल की अनुज्ञा निर्दिष्ट श्रेणी या यानों की श्रेणियों के लिये दी जाती है और यान निर्दिष्ट श्रेणी से संबंधित नहीं है;

(थ) समर्थाग रूप से असक्षम चालक द्वारा चलाए गये यानों की आरक्षित पार्किंग स्थल पर ऐसे चालक द्वारा यान खड़ा करना जो समर्थन रूप से असक्षम/विकलांग नहीं है;

(द) एक विनिर्दिष्ट यान स्थल पर उल्लिखित तरीके के अतिरिक्त किसी अन्य रीति के साथ या इस तरह से यान खड़ा करना जो अत्यधिक स्थान लेता है; तथा

(ध) जहां पार्किंग ''निषिद्ध यान स्थल'' संकेतक द्वारा निषिद्ध किया गया है।

23– भौंपू का इस्तेमाल और शान्त क्षेत्र–

(1) भौंपू का अनावश्यक उपयोग करना निषिद्ध है।

(2) जहां तक हो सकता है, भौंपू का उपयोग तभी किया जाएगा जब चालक को स्वयं या किसी अन्य सड़क उपयोगकर्ता के लिए खतरा के आशंका है।

(3) चालक तब भौपू बजाएगा जब अनिवार्य संकेतकों द्वारा निर्देशित किया गया है।

(4) चालक नहीं करेगा–

(क) लगातार या बार–बार या आवश्यकता से अधिक या आवासीय क्षेत्रों में या अनिवार्य संकेतकों में इंगित षान्त क्षेत्रों में भौपू नहीं बजाएगा;

(ख) किसी कट आउट का उपयोग जिसके द्वारा घ्वनिमंदक के माध्यम के स्थान पर निकास गैसे निष्कासित होती है;

(ग) हवाई भौंपू या बहु–आवाज वाले भौंपू का प्रयोग करना या स्थापित करना जो कर्कष, चुभती हुई, ऊंची या खतरनाक आवाज करते है सिवाय जैसा नियम 119 के उप–नियम (3) में प्रदान किया गया है और

(घ) जिनमें अनुचित शोर या ज बवह बजाए जाते है बहुत ही भयानक ध्वनि करते है।

24– संज्ञापक आदेश–

(1) वर्दी मे एक पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार का प्राधिकृत अधिकारी, यान को तकनीकी उपकरणों के सिग्नल देकर या सिग्नल डिस्क या लाल बत्ती के माध्यम से यान के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के लिये उसे, या उसमें बैठे किसी यात्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये यान को रोक सकता है, और यान के स्वामी या चालक को कथित अधिकारी के निर्देषो का पालन करना होगा।

(2) प्रत्येक चालक को आज्ञापक संकेतकों, सड़क चिन्हों और सक्षम प्राधिकारी या वरदी में पुलिस अधिकारी या उस समय डयूटी पर तैनात किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित सिग्नल देने के उपकरणों के माध्यम से दिये गये निर्देषो का पालन करना होगा।

(3) उस समय बावजूद किसी अन्य नियम या किसी अन्य आदेष, सड़क संकेत, चिन्ह या यातायात बत्ती सिग्नल के लागू नहीं होते हुए, और चालक का सावधानी और देखभाल करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चालक को यातायात संचालित करने के संबंध में वरदी पहने पुलिस अधिकारी के संकेतो या निर्देशों का पालन करना होगा।

(4) चालक को यातायात संचालित करने के संबंध में उस समय वरदी पहने पुलिस अधिकारी के संकेतो या निर्देशों का अनुपालन करना होगा। और सकेतो का पालन करना होगा, जिसमे रूकने या यान को पीछे करने या धीमा करने या वापस मोडने या किसी विनिर्दिष्ट दिशा में ले जाने या यान को यातायात की किसी पंक्ति में रखने का निर्देश शामिल है जैसा कथित पुलिस अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

25– किसी प्रदर्शन के पास से गुजरना–

(1) जब किसी प्रदर्षन के पास से गुजरते है जैसे किसी के संसकार और अन्य जुलूस या सैन्य टुकडी या पुलिस दल द्वारा मार्च करते हुए, या जानवरों के झुंड या घोड़े की जीन या मवेशियों के पास से गुजर रहे है, चालक यान की गति को कम कर देगा और धीरे–धीरे सावधानी के साथ यान और प्रदर्शन के बीय पर्याप्त जगह छोड़कर पार कर जाएगा।

(2) यदि उप–विनियम (1) में वर्णित प्रदर्शन यान के आगे की सड़क पर गुजर रहा है, या वहा से गुजरने वाला है, तब चालक यान को रोक देगा और प्रदर्शन को पहले गुजर जाने देगा और उसके वहां से गुजरने तक यान नहीं चलाएगा।

26– यातायात में रूकावट पर रोक– जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम या उसके लिये बनाए नियमों के अंतर्गत विधिमान्य अनुज्ञा नहीं दी है, कोई भी चालक नहीं करेगा–

(क) सड़क पर माल या किसी भी तरह की सेवाएं प्रदान करना;या

(ख) यान पर किसी विज्ञापन का प्रदर्शन।

27–'आपातकालीन सेवाओं के लिए नामित यान–

(1) राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 के उप–नियम (4) के अंतर्गत आपातकालीन सेवाओं के लिये नामित एक यान का चालक, जिसमें एम्बुलेंस के रूप में उपयोग किया जाने वाला यान या अग्निशमन या कबाड़ समान के प्रयोजनों के लिये या पुलिस यान, केवल तब बहु–ध्वनि भौंपू /भौंपू सायरन और बहु–रंग चमकने वाली बत्तीयां अलार्म संचालित करेगा जब यान आपातकालीन सेवाओं पर बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया दे रही है।

(2) एक आपातकालीन यान, जब उसकी बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोषनी चलती है, अन्य यानों द्वारा उसे रास्ता देने का अधिकार होगा।

(3) किसी अत्यंत आपात स्थिति जैसे एक मानव जीवन को बचाने, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की गंभीर क्षति रोकने, अपराध रोकने या आवश्यक सेवाओं को नुकसान पहुंचने या आग बुझाने के मामले में, आपातकालीन यान का चालक बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोशनी संचालित कर अत्यंत सावधानी, जिम्मेदारी के साथ कर सकता है–

(क) यातयात लाल बत्ती को पार कर सकता है;

(ख) विनिर्दिष्ट गति सीमा से अधिक गति में यान चला सकता है;

(ग) राजमार्ग पर यानों के ठहरने के स्थान पर यान चला सकता है;

(घ) किसी भी दिशा में यहां तक कि ''प्रवेष निषिद्ध'' या किसी ''एक–तरफा'' सड़क पर यान चला सकता है।

(4) आपातकालीन यानों के अंतर्गत उप–विनियम (1) में निर्दिष्ट रूप से इस प्रकार प्राथमिकता दी जाएगी–

(ड) सबसे पहले, अग्निशमन यान को;

(च) दूसरे, एम्बुलेंस को;

(छ) तीसरे, पुलिस यान सेवा को; तथा

(ज) चौथे, राज्य सरकार द्वारा नामित किये गये किसी भी अन्य यान को आपात यान प्रबंधनयान के रूप में जैसे आवष्यक सार्वजनिक सेवाएं, पानी और बिजली की आपूर्ति या सार्वजनिक परिवहन यान।

(5) जब एक आपातकालीन यान, अपने बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती रोषनी चालू कर किसी यान को पिछालन करता है, या किसी अन्य यान के मार्ग में पहुंचता या प्रवेश करता है, जो व्यक्ति कथित यान चला या सवारी कर रहा है, जब तक उसे पुलिस अधिकारी द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया जाता तब तक वह–

(क) आपातकालीन यान से रास्ते का अधिकार प्राप्त नहीं करेगा, अपने यान को बांई ओर जितना व्यवहारिक रूप से संभव हो सकता है कम से कम समय में सड़क के किनारे तक ले जाएगा;

(क) यान को रोक देगा, यदि आवश्यक लगता है, और जब तक आपालकालीन यान वहां से निकल नहीं जाता वह उसी स्थिति में स्थिर रूका रहेगा।

(6) चालक, जब तक आपातकालीन यान के चालक दल द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया जाता, आपातकालीन यान जिसमें बहु–ध्वनि भौंपू और जलती–बुझती दोनों काम कर रही है उनसे कम से कम पचास मीटर की दूरी बनाए रखेगा।

(7) सड़क के रखरखाव या सार्वजनिक उपयोगिता के अनुरक्षण यानों को सड़क मार्ग पर खड़ किया जा सकता है, यदि आवश्यकता है, खतरों की चेतावनी लाइटों को जलाकर और खडे किये गये यान के पीछे पचास मीटर दूरी पर आवश्यक जानकारियों के साथ चेतावनी उपकरणों को स्थापित कर, और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त सावधानी बरती जानी चाहिए।

28– यान खराब होना– किसी मामले में यदि दो पहियों से अधिक पहियों वाला कोई यान ऐसे स्थान पर खराब हो जाता है जहां से उसे एक स्थिर बाधा के रूप में पहचाना जा सकता है:–

(क) तुरन्त यान की खतरे की चेतावनी लाइटे चालू करनी होंगी;

(ख) तेज गति वाले राजमार्गो और प्रमुख सड़कों पर, खराब यान के पीछे पचास मीटर की दूरी पर परावर्ती यातायात चेतावनी त्रिकोण रखे जाएंगे;

(ग) जहां यान खड़ा है और सड़क पर आगे मोड़ है, मोड़ से पहले परावर्ती यातायात चेतावनी त्रिकोण रखे जाएंगे।

29– यानीय की दुर्घटना के मामले में कार्यवाही–

(1) किसी दुर्घटना के मामले में चालक पूर्ण शांत बना रहेगा और दूसरे चालक या दुर्घटना में संलग्न यान या किसी अन्य व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

(2) छोटी दुर्घटनाएं

(क) दुर्घटना में शामिल चालक या कई चालक, अपने यान से नीचे उतरकर यानों, यान मे बैठी सवारियों, किसी पैदल यात्री या किसी अनय व्यक्ति या यान के चित्र खीचेंगे,बेशक वह कोई दुर्घटना स्थल सहित मोटरयान या अन्य कुछ हो, यदि संभव है;

(ख) सभी चालक यानों को खींच कर तुरंत सड़क के बाहर निकाल ले जाएंगे ताकि आने वाले यानों के यातायात के लिये मार्ग बाधारहित/साफ हो;

(ग) चालक अन्य यान चालकों को सतर्क करने के लिये यान के निकट या उसके आसपास परावर्ती यातायात खतरों के त्रिकोण रखेंगे और उनकी खतरे की चेतावनी लाइटें जला देंगे;

(घ) यदि कोई व्यक्ति घायल हो गया है चालक या सवार तुरंत पुलिस या एम्बुलेंस या निकटतम अस्पताल में फोन करेंगे;

(ड) चालक जबतक हर किसी की संतुष्टि के लिए सब कुछ पूरा नहीं कर लिया जाता, दुर्घटना स्थल/ दृश्य को छोडकर नहीं जाएंगे भले ही दुर्घटना किती छोटी ही क्यों न हो।

(3) बड़ी दुर्घटना–

(क) हर व्यक्ति जो दुर्घटना में शामिल होता है उसे अपने स्वयं और यान में बैठे अन्य यात्रियों और दुर्घटना में शामिल यान की जांच कर यह देखना चाहिए कि किसी को चोट तो नहीं आई है;

(ख) यदि किसी को चोट लगी है, तब तुरन्त चिकित्सा सहायता और पुलिस को बुलाएगा;

(ग) जब एक बार चालक और यात्रियों या सवार की हालत स्थिर हो जाती है, दुर्घटना में शामिल व्यक्तियों और यानों के चित्र खींचेगा जिसमें यान की रजीस्ट्रीकरण प्लेट और दुर्घटना दृश्य/स्थल के चित्र भी शामिल होंगे;

(घ) दुर्घटना में शामिल चालक यानों को जितनी जल्दी संभव हो सकता है सड़क से दूर किनारे पर स्थानांतरित कर देंगे;

(ड) यदि यान या यानों को हटाना संभव नहीं है, दुर्घटना में शामिल प्रत्येक चालक दुर्घटना स्थल पर तब तक उपस्थित रहेंगे जब तक पुलिस नहीं आ जाती और दुर्घटना में घायल होने के कारण पीड़ित को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता;

(च) चालक और सवारियां दुर्घटना की जांच में पुलिस प्राधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे;

(छ) यदि किसी दूसरे यान के साथ दुर्घटना में शामिल हैं, चालक निम्नलिखित जानकारियां दूसरे चालक के साथ आपस में अदला बदली करेंगेः नाम, पता फोन नंगर, बीमाकंपनी, पॉलिसी नंबर, चालन अनुज्ञप्ति नंबर और यान के रजिस्ट्रीकरण नंबर।

(4) दूसरे चालक के साथ बातचीत–

(i) एक बार शुरूवाती झटके से उभरने के बाद जब यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी को भी गंभीरता से चोट नहीं लगी है, गुस्सा भड़क सकता है और दुर्घटना में शामिल सभी व्यक्तियों को गुस्से से बचना चाहिए या किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों का गुस्सा भड़कने के कारण बचना होगा।

(ii) चालक या अन्य यात्री दूसरे चालक का नाम, पता, संपर्क की जानकारी प्राप्त करेंगे, और वह उन्हें प्रदान किये जाएंगे;

(iii) यदि आपस में सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं किया जा सकता, तब तुरन्त पुलिस को बुलांए;

(iv) यदि पुलिस को सूचित कर दिया गया है, दुर्घटना मे शामिल उन सभी व्यक्त्यिों को घटनास्थल पर तब तक रहना होगा जब तक जांचकर्ता पहुंच नही जाते और वापस जाने की उन्हें अनुमति नहीं दे देते।

30– यान को रस्सी से खींचना–

(1) किसी भी दुपहिया मोटरयान को किसी अन्य यान द्वारा नहीं खींचा जाएगा।

(2) यान को खींचते समय अधिकतम गति पच्चीस किलो मीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी।

(3) खींचे जाने वाले यान और खींचने वाले यान की दूरी पांच मीटर से अधिक नहीं होगी;

(4) अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को खींचने वाली रस्सियां या चेन साफ दिखाई देनी चाहिए।

(5) खींचे जाने वाले यान के सामने और पीछे सफेद पृष्ठभूमि पर एक रेट्रो परावर्ती ''ऑन टा'' संकेतक प्रदर्शित किया जाएगा जिसके अक्षरों की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी और अक्षरों के बीच 2 सेंटीमीटर फासले सहित चौडाई 2 सेंटीमीटर होगी और चालक रात के समय, अंधरे में याप्रतिकूल मौसम की स्थित में यान को तब तक नहीं खींचेगा जब तक दोनों यानों की खतरे की चेतावनी लाइटें जला नहीं ली जाती है;

परन्तु यदि खींचे जाने वाले यान की खतरे की चेतावनी लाइटें काम नहीं कर रही, उन्हें खींचा नहीं जाएगा जब तक उनकी खतरे की चेतावनी लाइटें जला नहीं दी जाती।

31– यान की लाइटें–

(1) चालक यां काल, रात को और सुबह और जब दृश्यता बहुत कम होती है निर्दिष्ट प्रकाश उपकरणों का प्रयोग करेगा;

परन्तु एक दुपहिया मोटरयान चालक दिन के दौरान भी अपनी हैडलाइट को नीचे गिराकर जलाएगा।

(2) एक यान के लाइट उपकरण हर समय अच्छे काम करने की स्थिति में रखे जाने चाहिए और किसी भी प्रकाश व्यवस्था के उपकरण को किसी वस्तु या धूल आदि से छिपाया नहीं जाएगा।

(3) कोई चालक–

(क) केवल यान स्थल रोशनी जलाकर यान नहीं चलाएगा, जब तक उसे ऐसा वरद में एक पुलिस अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्देशित नहीं किया जाता; तथा

(ख) अनुपयुक्त यान के निकट पहुंचने पर या जब किसी यान के पीछे बहुत निकट यान चलाते समय उच्च बीम को नीचे कर देगा।

(4) आने वाले यान के निकट पहुचने पर या जब किसी यान के पीछे बहुत निकट यान चलाते समय उच्च बीम को नीचे कर देगा।

(5) चालक कोहरे/फॉग लाइट केवल तब जलाएगा जब कोहरे,धूल,तूफान,बारिश या बर्फ गिरने के कारण दृश्यता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और वह भी केवल हैड लैंप को नीचे गिरा कर।

32– ट्रैक्टर और माल ढोने वाले यान चलाना–

(1) ट्रैक्टर का चालन अपने साथ ट्रैक्टर पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बिठायेगा, या न ही उसे बैठने की अनुज्ञा देगा।

(2) माल ढोने वाले यान में चालक के केबिन में बैठने वाले व्यक्त्यिों की संख्या यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(3) माल ढोने वाले यान पर किसी भी व्यक्ति को किराये या पुरस्कार के लिए नहीं बिठाया जाएगा।

33– लेन अलग होना (लेन के भीतर लेन)– शहरी क्षेत्रों में, चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति सीमा की सड़कों पर, जहां कहीं भी विशेष रूप से सड़क के संकेत द्वारा अनुमति दी जाती है, मोटरसाइकिल चालक तीन और चार पहियों के यानों के बीच में धीरे–धीरे से आगे निकल सकते है जब मोटरसाइकिल और अन्य यानों के बीच की गति का अंतर पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नही है।

34– खतरनाक पदार्थो की ढुलाई पर प्रतिबंध–किसी भी सार्वजनिक सेवा के यान का कोई चालक किसी प्रकार का विस्फोटक या अत्यधिक ज्वलनशील या अन्यथा खतरनाक पदार्थ अपने साथ, या किसी अन्य व्यक्ति को ले जाने की अनुज्ञा नहीं देगा सिवाय ईंधन और स्नेहको को छोडकर जो यान चलाने के लिये आवश्यक है।

35– भार यान के बाहर उठा होना/निकलना–

(1) चालक हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि भार नियंत्रित करने और लादने के उपकरण सहित भार को यान पर सही तरीके से इस प्रकार से व्यवस्थित/रखा और नियंत्रित किया गया है कि किसी अकस्मात आपात स्थिति में ब्रेक लगाने या अचानक झटके के साथ यान के मुडने पर माल फिसलकर, गिरकर, घुमकर यान से न गिरे या अनावष्यक शोर उत्पन्न न करे।

(2) कोई भी चालक किसी सार्वजनिक स्थान पर ऐसे मोटर यान को चलाएगा जिस पर इस तरीके से माल लदा हुआ है कि जिसके कारण किसी व्यक्ति को खतरा पैदा होने की संभावना हो सकती है।

(3) भार या उसके किसी भाग के लिए, या यान मे कोई अन्य वस्तु उसके ढांचे के बगल या आगे या पीछे बाहर की ओर नहीं निकलेगी, या यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट ऊंचाई या भार की सीमा से अधिक नही होगी।

36– रजिस्ट्रीकरण प्लेट–

(1) सार्वजनिक सड़क पर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विर्निदिष्ट रजिस्ट्रीकृत प्लेट प्रदर्शित किये बिना कोई भी यान चलाया या खड़ा नहीं किया जाएगा।

(2) यान के आगे और पीछे पंजीकृत प्लेटें स्पष्ट रूप से दृश्य और सुपाठय होंगी और इन रजिस्ट्रीकृत प्लेटों पर कोई भी वस्तु या धूल/गंदगी उसकी स्पष्ट दृश्यता में अवरोध उत्पन्न करेगी।

(3) रजिस्ट्रीकृत प्लेटों पर रजिस्ट्रीकरण संख्या को छोडकर कोई अक्षर, शब्द, आकृति, चित्र या प्रतीक प्रदर्शित या गढ़े या लिखे नहीं जाएंगे।

(4) मोटरयान पर कोई भार या अन्य वस्तुओं को इस तरह से नहीं रखा जाएगा जिससे पूरी तरह या आंशिक रूप से रजिस्ट्रीकरण प्लेटें छिप जाएं।

37– मोबाइल टेलीफोन और संचार युक्तियों का उपयोग–

(1) चालक हाथ में पकडे जाने वाले मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरण का उपयोग नहीं करेगा।

(2) कोई प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक नौसीखिया चालक को प्रशिक्षण या पर्यवेक्षण करते समय मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा।

38– दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण–

(1) एक परिवहन यान का चालक हमेशा अपने साथ मूल रूप मे निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा, सिवाय उन दस्तावेजो को छोड़कर जिन्हें प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा जब्त किया हो सकता है, अर्थातः–

(क) चालन अनुज्ञप्ति;

(ख) कराधान प्रमाण पत्र;

(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(घ) बीमा प्रमाण पत्र;

(ड) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र; और

(च) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र;

(2) खतरनाक या असुरक्षित माल परिवहन करने वाले यानों के चालक अपने साथ केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियमो 132 और 133 में निर्दिष्ट दस्तावेज रखेंगे।

(3) गैर–परिवहन यान के चालक अपने साथ हमेशा रखेंगे–

(क) चालन अनुज्ञप्ति और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र ; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और बीमा प्रमाण पत्र या उसकी प्रतिलिपि।

(4) यान का चालक, वरद में पुलिस अधिकारी, मोटरयान विभाग के अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग करने पर, निरीक्षण के लिये अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेगा;

परंतु एक चालक, यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज पहले से ही प्रस्तुत कर चुका है या किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा अधिनियम या उसके निहित बनाए नियमों के

अधीन जब्त किया गया है या किसी अन्य लागू अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है, कथित दस्तावेज के बदले, कथित अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा उस संबंध मे एक रसीद या अन्य पावर्ती जारी की जाएगी;

परंतु यह कि जहां रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र या उप–विनियम (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट बीमा प्रमाण पत्र चालक के पास उपलब्ध नहीं है, यान का स्वामी या चालक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कथित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जिसके द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, यदि प्राधिकरण द्वारा वह आवश्यक है।

39– पैदल यात्री पार पथ, फुटपाथ और साइकिल पगडंडी–

(1) एक अनियंत्रित पैदल पार पथ से गुजरते समय, चालक यान धीमा कर देगा, रूक जाएगा और पैदल, असक्षम सड़क उपयोगकर्ताओं को ले जाने वाली गाड़ी, और व्हीलचेयर को रास्ता देना होगा।

(2) यदि यातायात में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, और यदि आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है जिसके कारण पैदल पार पथ में अवरोध उत्पन्न हो सकता है तब चालक पैदल पार पथ पर आगे यान नही चलाएगा।

(3) जब कोई भी सड़क फुटपाथ या साईकिल पगडंडी के साथ प्रदान की जाती है, कोई भी यान ऐसे फुटपाथ या पगडंडी पर नहीं चलाया जाएगा, सिवाय वर्दी में एक पुलिस अधिकारी के निर्देश पर या जहां यातायात संकेत में उस पर चलाने की अनुज्ञा प्रदर्शित की गई है।

40– सड़क के संकेत, चिन्ह, यातायात नियंत्रण सिग्नल, अधिनियम और नियमों का ज्ञान और समझ–प्रत्येक चालक निम्नलिखित के साथ परिचित होगा और उसका पर्याप्त ज्ञान और समझ होगी, अर्थात–

(क) सडक संकेतो, चिन्हो और यातायात नियंत्रण सिग्नलों;

(ख) मोटरयान अधिनियम,1988 की निम्नलिखित धाराओं के प्रावधानों के साथ, अर्थात

(i) धारा 19: अयोग्यता या चालन अनुज्ञप्ति लाइसेंस रदद करने के लिये आधार;

(ii) धारा 112: गति की सीमा;

(iii) धारा 113: वजन की सीमा और उपयोग की सीमाएं

(iv) धारा 121: सिग्नल और सिग्नलों के उपकरण;

(v) धारा 122: खतरनाक स्थिति में यान छोड़ना;

(vi) धारा 125: चालक को अवरोध;

(vii) धारा 132: कुछ मामलों मे रोकने के लिये एक चालक के कर्तव्य;

(viii) धारा 133: मोटरयान के मालिक के जानकारी देने के कर्तव्य;

(ix) धारा 134: दुर्घटना और किसी व्यक्ति को चोट लगने पर मोटर यान के चालक के कर्तव्य;

(x) धारा 185: एक मत्त व्यक्ति द्वारा या नशीली दवाओं के प्रभाव में ड्राइविंग करना;

(xi) धारा 186: जब मानसिक या शारीरिक रूप से यान चलाने मे अयोग्य हैं;

(xii) धारा 187: दुर्घटना से संबंधित अपराधों के लिए दंड;

(xiii) धारा 194: स्वीकार्य भार से अधिक सीमा में भार लादकर यान चलाना;

(xiv) धारा 200: कतिपय अपराधों की सरंचना; तथा

(xv) धारा 207: बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट के यानों को हिरासत में रखने की शक्ति;

(ग) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के उपाबंध

(i) नियम 121: अधिनियम जो अवरोध या जनता को खतरा उत्पन्न करता है उसके लिये एक व्यक्ति को चालन अनुज्ञप्ति रखने के लिये अयोग्य ठहरता है;

(ii) नियम 133: चालक की जिम्मेदारियां;

(iii) नियम 136: चालक दुर्घटना के बारे में पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा;

(घ) अच्छे आदमियों की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग सं0 25035/101/2014–आरएस, तारीख 21 जनवरी, 2016 में प्रकाशित भारत का राजपत्र, असाधारण भाग–I, धारा 1 सरकार की अधिसूचना के उपाबंध।